रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 559] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 1979/पौष 5, 1901

No. 559] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 1979/PAUSA 5, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1979

का. आ. 869 (अ)/18एफबी/आईडीआरए/79.—यतः भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 742 (ई), दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 (च ख) की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्था पत्रों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) जिनका मैसर्स राय बहादुर हरदत्त-राय मोतीलाल जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, 68-काटन स्ट्रीट, कलकत्ता-7 या ऐसे औद्योगिक उपक्रम या स्वामित्व रखने वाली कंपनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कंपनी को लागू हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेष अधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे,

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 27 दिसम्बर, 1980 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए।

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 27 दिसम्बर, 1980 तक, जिसमें यह दिन भी शामिल है, बढ़ाती है।

[फाइल सं. 3/4/76-सी.यू.सी]

ब. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 26th December, 1979

S.O. 869(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 742(E), dated the 28th December, 1978, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, stand-

ing order or other instruments in force immediately before the date of issue of the said order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Rai Bahadur Hurdutroy Motilal Jute Mills Private Limited, 68-Cotton Street, Calcutta-7 or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or Company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year upto and inclusive of the 27th December, 1980;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 27th December, 1980.

[F. No. 3/4/76-Cuc.]

B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979